Fuelling Sustainable Growth
CENTRAL COALFIELDS LTD.

CENTRAL COALFIELDS LIMITED
A Miniratna Company
(Govt. of India Undertaking)
Marketing & Sales Department
Reg. Office: Darbhanga House, Ranchi
Jharkhand- 834 001
Phone: (0651), 2360369
Fax: (0651) 2360369
CIN NO: U10200JH1956GOI000581
E-mail: gmsnm.ccl@coalindia.in

Ref: CCL/HQ/C-4/24-25/559 Date 22/03/2025

NOTICE

Ref: Memo No 810 from Dept. of Mines, Govt. of Jharkhand Dated 19/03/2025 (attached herewith)

All Power/ Regulated Sector Consumers taking coal from CCL are hereby notified that it has been informed by Dept. of Mines Govt of Jharkhand that the methodology of calculation of royalty applicable for despatches to Power/ Regulated Sector consumers has been changed as per Memo referred above.

In given context, any differential/increase in amount pertaining to royalty and its components accruing out of implementation of above referred memo shall have to be borne by power/ regulated sector consumers from the date of its implementation.

22/3/25
General Manager (M&S)
CCL

For kind information:
1) CMD, CCL
2) Dir (Mktg.), CIL
3) DT (Op)/ D (Fin)/ D (P)/ DT (P&P) CCL

For Circulation:
1) CCL Website
2) GM (Fin), CCL
3) All Area GMs.
4) All ASMs
5) All AFMs

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

संख्या–ख०नि०(नीति)–01/2025–810/एम०, राँची, दिनांक–19.03.2025

राज्य के खनिज राजस्व का मुख्य स्रोत कोयले से प्राप्त होने वाला राजस्व है तथा सरकारी कम्पनियों द्वारा बहुतायत (लगभग 85%) कोयले का प्रेषण Power/Regulated Sector के उद्योगों में किया जाता है। Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले का बिक्रय मूल्य कोल इण्डिया लि० द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोयले के समान ग्रेड, जो Power/Regulated Sector के उद्योगों के लिए किया जाता है, का प्रेषण खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से कोल इण्डिया लि० एवं अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किये जाने पर विक्रय मूल्य कोल इण्डिया लि० द्वारा साधारणतया निर्धारित मूल्य से अधिक प्राप्त होता है।

2). प्रावधानों के आलोक में कोयला खनिज के विक्रय मूल्य का 14% रॉयल्टी मद में राज्य सरकार को प्राप्त होता है। उपलब्ध आँकड़ो से स्पष्ट है कि खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से कोयला की बिक्री नहीं किये जाने की स्थिति में लगभग 85% कोयला, जो Power/Regulated Sector को प्रेषित किया जाता है, उसके उपर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली की यथोचित प्राप्ति नहीं होती है एवं स्वामिस्व/रॉयल्टी की वसूली हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3). अतएव उपरोक्त विसंगती के सुधारात्मक कार्य हेतु झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली, Other than Power/Regulated Sector को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला के Invoices के आधार पर परिशिष्ट–I के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा की जाएगी।

4). उपरोक्त निर्धारित मूल्य के आधार पर ही कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर श्रेणीवार स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली की जाएगी।

5). खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (परिशिष्ट–I) संलग्न है।

उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–12.03.2025 में मद संख्या–22 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरवा राजकमल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–ख०नि०(नीति)–01/2025 810/एम०, राँची, दिनांक–19.03.2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

19/3/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–ख०नि०(नीति)–01 / 2025 810 / एम०, राँची, दिनांक–19.03.2025

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / निदेशक, खान / निदेशक, भूतत्व / सभी अपर निदेशक, खान / भूतत्व / सभी उप निदेशक, खान / सभी जिला / सहायक खनन पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, भूतत्व / सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–ख०नि०(नीति)–01 / 2025 810 / एम०, राँची, दिनांक–19.03.2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड / प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड / मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड / राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/25

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–I

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली हेतु विभिन्न कोल कम्पनियों द्वारा जारी Invoices के आधार पर मूल्य के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

1. खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा कोल कम्पनियों/JIMMS इत्यादि स्रोतों से कोयला खनिज का श्रेणीवार विक्रय मूल्य Other than Power and Regulated Sector को प्रेषित किये गये कोयले के बावत सूचना प्राप्त की जाएगी।
2. झारखण्ड राज्य को स्वामिस्व (रॉयल्टी) के वसूली हेतु श्रेणीवार उपलब्ध विक्रय मूल्य के आँकड़ों का भारित औसत प्रतिटन में श्रेणीवार माहवार निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण :–

क्र०	कोयला प्रेषण का स्रोत	श्रेणी (ग्रेड)	वजन/परिमाप	विक्रय मूल्य (रूपये प्रतिटन)
1.			**X1**	**Y1**
2.			**X2**	**Y2**
. . . . . **N**			. . . . . **XN**	. . . . . **YN**

भारित औसत मूल्य = X1 * Y1+ X2 * Y2 +.............+XN * YN/(X1+X2+......+XN)

- **N =** Other than Power and Regulated Sector को प्रेषित किये गये कोयले के बावत श्रेणीवार विक्रय मूल्य तथा वजन/परिमाप की संख्या।

3. उपरोक्त निर्धारित मूल्य का प्रकाशन खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारिक बेवसाईट JIMMS पर किया जाएगा।
4. उपरोक्त निर्धारित मूल्य के आधार पर ही Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर श्रेणीवार स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली की जाएगी।